

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा योजना) जयपुर

आवेदन का प्रारूप

केवल कार्यालय उपयोग के लिये

क्रम संख्या		प्राप्ति दिनांक		
संलग्नक	शैक्षणिक योग्यता			
Sec.	Sr.Sec.	Graduation	P.G.	other
जाति प्रमाणपत्र	कम्प्यूटर योग्यता	विकलांगता प्रमाणपत्र	मूलनिवास प्रमाणपत्र	

1. आवेदित पद का नाम : .....
2. आवेदक का नाम : .....
3. पिता/पति का नाम : .....
4. वैवाहिक स्थिति

अविवाहित	विवाहित	विधवा	तलाकशुदा
----------	---------	-------	----------

5. स्थाई पता : .....
6. पत्र व्यवहार का पता : .....
- मोबाइल नं.....

7. जन्मतिथि दिनांक.....माह.....वर्ष.....  
(सैकण्डरी के प्रमाणपत्र के आधार पर । प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

8. जाति वर्ग : .....
- (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

9. विकलांगता(केवल ओ.एल. श्रेणी) का विवरण (यदि हो): .....
- (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
10. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का विवरण – (अ) शैक्षणिक योग्यता के सभी स्तर की अंकतालिका/प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें ।

शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/वि.वि. का नाम	संकाय	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
सैकण्डरी						
सी0 सैकण्डरी						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						

(ब)

तकनीकी/कम्प्यूटर योग्यता	संस्था का नाम जहां से प्राप्त की गई	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

11. अनुभव यदि कोई हो तो :.....

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी विवरण तथ्य एवं संलग्न पत्रादि पूर्ण रूप से मेरी जानकारी में सही है तथा मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर मय पूर्ण पता

दिनांक :

नोट :- सभी प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य हैं।

शर्तें :-

(1) पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षण के लाभ हेतु अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्साधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

(2) ग्राम रोजगार सहायक हेतु प्रथम प्राथमिकता उसी ग्राम पंचायत के पात्र निवासी को दी जावेगी, इस हेतु मूल निवास प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उसी पंचायत का कोई भी प्रार्थी उपलब्ध नहीं होने पर पास की ग्राम पंचायत/पंचायत समिति से उपलब्ध प्रार्थी का चयन किया जावेगा।

(3) ग्राम रोजगार सहायक हेतु उसी ग्राम पंचायत के बी0पी0एल0 सूची 2002 के योग्य अभ्यर्थी को अन्य प्रार्थियों की तुलना में प्राथमिकता दी जावेगी। इसके लाभ हेतु चयनित अभ्यर्थी को आवेदन फार्म में चयनित क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा तथा प्रमाणस्वरूप दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।

(4) ये नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई एवं संविदा के आधार पर दिनांक 28/2/2011 तक के लिये होंगी। कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने/अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर किसी भी समय संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है।

(5) अभ्यर्थी को आवेदन फार्म के साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करना होगा, शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी।

(6) आवेदन की अंतिम दिनांक को अभ्यर्थी द्वारा धारित योग्यता को ही चयन का आधार माना जावेगा एवं न्यूनतम/उच्चतर योग्यता की मेरिट आधार पर चयन किया जावेगा।

(7) रिक्तियों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जावेगा जो दिनांक 28/2/2011 तक मान्य होगा।

(8) कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का चयन राज्य सरकार के प्राथमिकता क्रम से मेरिट से किया जायेगा।

(9) ग्राम रोजगार सहायक हेतु :- प्राप्त आवेदन पत्रों की राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार मेरिट बनाई जावेगी। इसके पश्चात कम्प्यूटर दक्षता की जांच हेतु परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक को मेरिट के अंकों में जोड़कर अंतिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। इस वरीयता सूची के आधार पर वरीयता क्रम से नियुक्ति प्रदान की जावेगी। वरीयता सूची से नियुक्ति के पश्चात दो अभ्यर्थियों को ही पैनल में रखा जावेगा।

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नाम:

पता:

दूरभाष: